

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस बी आपराधिक अपील संख्या 543/1991

आयकर अधिकारी, वार्ड-2, अजमेर (राज.)

----अपीलकर्ता

बनाम

राजेंद्र प्रसाद वैश, पुत्र श्री बंशीधर वैश, निवासी 4, गुलराज क्वार्टर,
नसीराबाद रोड, जिला अजमेर (राज.)

----प्रतिवादी

-

अपीलकर्ता(ओं)के लिए : श्री सिद्धार्थ बापना , एडवोकेट
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री शिव प्रताप सिंह राठौर ,
एडवोकेट

-

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

02/04/2024

प्रकाशनीय

1. वर्तमान अपील विशेष मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), राजस्थान, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 31.08.1991 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त प्रतिवादी, जिसे बाद में 'प्रतिवादी' कहा गया है, को आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "1961 का अधिनियम") की धारा 276 सीसी के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है।
2. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि आयकर आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद आयकर अधिकारी ने अधिनियम की धारा 276 सीसी के तहत प्रतिवादी के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत प्रस्तुत की और यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी ने 1961 के अधिनियम की धारा 139(1) के तहत अपना आयकर रिटर्न निर्धारित समय 31.07.1978 को या उससे पहले जमा नहीं किया और करदाता ने 31.12.1980 को अपना रिटर्न दाखिल किया। इसके बाद, 1961 के अधिनियम की धारा 271(1) के तहत कार्यवाही 31.12.1981 के नोटिस के जरिए शुरू की गई, लेकिन प्रतिवादी कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। फिर एक अनुस्मारक जारी किया गया लेकिन कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद आयकर अधिकारी ने 10.11.1984 के आदेश के तहत प्रतिवादी पर 1961 के अधिनियम की धारा 271(1) के तहत 2200/- रुपये का जुर्माना लगाया।

3. शिकायत के समर्थन में, अपीलकर्ता ने अभियोग-1 डी.पी. गोविल से पूछताछ की। इसके बाद, प्रतिवादी के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1961 की धारा 276 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए। अभियुक्त-प्रतिवादी ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की। इसके बाद, अभियोग-1 डी.पी. गोविल के बयान अभियोग-2 एच.सी. नागपाल के समक्ष पुनः दर्ज किए गए। तत्पश्चात, प्रतिवादी का स्पष्टीकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया। प्रतिवादी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। 31.08.1991 के निर्णय द्वारा प्रतिवादी को बरी कर दिया गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप यह था कि उसने कर निर्धारण वर्ष 1978-79 से संबंधित आयकर रिटर्न 28 महीने से अधिक समय बाद जमा किया था और यह तथ्य आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमुख साक्ष्यों के माध्यम से अभिलेखों में भी स्थापित हो चुका है। अधिवक्ता ने दलील दी कि इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी को उपरोक्त आरोपों से बरी करने के लिए निचली अदालत के पास कोई कारण या अवसर उपलब्ध नहीं था। अधिवक्ता ने दलील दी कि इन परिस्थितियों में इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित है।

5. इसके विपरीत, विद्वान प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और कहा कि यद्यपि आयकर रिटर्न दाखिल करने में कुछ देरी हुई थी, लेकिन यह देरी न तो जानबूझकर की गई थी और न ही ऐसा कोई इरादा था जो 'मानसिकता' के सिद्धांत को आकर्षित करता हो। वकील ने दलील दी कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, प्रतिवादी को संदेह का लाभ देते हुए उसके पक्ष में एक ठोस और तर्कसंगत निर्णय पारित किया गया है। अतः इन परिस्थितियों में इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

6. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. अभियोजन पक्ष का एकमात्र मामला यह है कि प्रतिवादी 1961 के अधिनियम की धारा 139(1) के तहत निहित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है और उसने 28 महीने की देरी के बाद आयकर रिटर्न जमा किया है जो अधिनियम, 1961 की धारा 276सीसी के तहत अपराध है। यहां 1961 के अधिनियम की धारा 139(1) और 276सीसी के तहत प्रावधानों को उद्धृत करना प्रासंगिक है:

“139. आय विवरणी.—

(1) प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) कंपनी या फर्म होना; या

(ख) किसी कंपनी या फर्म से भिन्न कोई व्यक्ति होते हुए, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन करयोग्य है, उस अधिकतम राशि से अधिक हो गई है, जो आयकर से प्रभार्य नहीं है,

नियत तारीख को या उससे पूर्व, पूर्व वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का विवरण, निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सत्यापित करके तथा ऐसे अन्य विवरण देते हुए, जो निर्धारित किए जाएं, प्रस्तुत करेगा ।

276सी.सी. आय का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता . यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर उचित समय में फ्रिंज लाभों का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसे उसे धारा 115-डब्ल्यूडी की उप-धारा (1) के तहत या उक्त धारा या धारा 115-डब्ल्यूएच की उप-धारा (2) के तहत दिए गए नोटिस द्वारा या आय का रिटर्न, जिसे उसे धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत या धारा 142 की उप-धारा (1) के खंड (i) या धारा 148 या धारा 153-ए के तहत दिए गए नोटिस द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो वह दंडनीय होगा,

(i) ऐसे मामले में जहां कर की रकम, जो कि यदि विफलता का पता न चला होता तो अपवंचित होती,

एक लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से;

(ii) किसी अन्य मामले में , कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से दण्डित किया जाएगा:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 115-डब्ल्यूडी की उपधारा (1) के अधीन अनुषंगी लाभों की विवरणी या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी समय पर प्रस्तुत न करने पर इस धारा के अधीन कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(i) 1 अप्रैल, 1975 से पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए ; या

(ii) 1 अप्रैल, 1975 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए , यदि-

(क) उसके द्वारा निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व विवरणी प्रस्तुत कर दी जाती है [या उसके द्वारा धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन उस उपधारा में उपबंधित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत कर दी जाती है]; या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी नहीं है, नियमित मूल्यांकन पर निर्धारित कुल आय पर देय कर, जो कि कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति

से पहले भुगतान किए गए अग्रिम कर या स्व-मूल्यांकन कर, यदि कोई हो, को घटाकर , और स्रोत पर काटे गए या एकत्र किए गए किसी भी कर को घटाकर, दस हजार रुपये से अधिक नहीं है।

8. उपरोक्त प्रावधान उन स्थितियों पर लागू होता है जहां कोई करदाता 1961 के अधिनियम की धारा 139(1) के तहत विनियमित आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा है। 1961 के अधिनियम की धारा 276सीसी का प्रावधान वास्तविक करदाता को समान राहत देता है । 1961 के अधिनियम की धारा 276CC के प्रावधान के खंड (ii) (बी) में यह प्रावधान है कि यदि नियमित मूल्यांकन द्वारा निर्धारित कर अग्रिम कर भुगतान में कम हो गया है और स्रोत पर कर कटौती 3,000/- रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसे करदाता पर 1961 के अधिनियम की धारा 139(1) के तहत रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसलिए, यह प्रावधान वास्तविक करदाता का ख्याल रखता है जो या तो देर से लेकिन मूल्यांकन वर्ष के अंत में रिटर्न दाखिल करते हैं या जिन्होंने पूर्व-भुगतान करों द्वारा अपने कर की पर्याप्त मात्रा का भुगतान कर दिया है, 1961 के अधिनियम की धारा 276CC के तहत अभियोजन की कठोरता से। प्रतिवादी द्वारा स्थापित बचाव के अनुसार, उनके रिटर्न के अनुसार देय कर 1,279/- रुपये था, लेकिन यह सहमत मूल्यांकन से

अधिक था, इसलिए, उनका विनिर्धारण सहमत मूल्यांकन के खिलाफ था विलंब सदभावपूर्वक किया गया था और इसके पीछे कोई गलत मंशा या गलत इरादा नहीं था। विलंबित रिटर्न प्रस्तुत करने में प्रतिवादी की ओर से कोई 'मन्स रीया' नहीं था।

9. विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमता से कर विधि संशोधन एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1986 द्वारा धारा 278E को 10 सितंबर, 1986 से अधिनियम में जोड़ा। यह प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी ऐसे अपराध के अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की ओर से "दोषपूर्ण मानसिक स्थिति" अपेक्षित हो, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व को मान लेगा। यह साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है कि उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। स्पष्टीकरण के अनुसार, दोषपूर्ण स्थिति में "इरादा", "उद्देश्य" और "ज्ञान" शामिल होंगे। यह आगे प्रावधान करता है कि ऐसी दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अभाव अभियुक्त को अपने बचाव में उचित संदेह से परे साबित करना होगा।

10. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276सीसी के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, आयकर विभाग के लिए यह साबित करना जरूरी है कि अभियुक्त ने जानबूझकर किसी भी कर, जुर्माने या ब्याज से बचने का प्रयास किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने

CrI.RPNo.329/2019 में इस मुद्दे पर विचार किया है और निम्नलिखित निर्णय दिया है:

276सी (1) के तहत अपराध का सार किसी भी कर, जुर्माना या ब्याज से बचने का जानबूझकर किया गया प्रयास है जो कि देय या असंभव हो या आय की कम रिपोर्ट हो। जिसे दंडनीय बनाया गया है वह "कर, जुर्माना या ब्याज से बचने का प्रयास" है न कि "कर की वास्तविक चोरी"। "प्रयास" अभिव्यक्ति को अधिनियम या आईपीसी के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। कानूनी भाषा में, एक "प्रयास" का अर्थ "किसी अपराध के कमीशन की दिशा में एक अधिनियम या आंदोलन" समझा जाता है। यह "अपराध के कमीशन की दिशा में कुछ" करना है। उस अर्थ में देखा जाए तो "कर, जुर्माना या ब्याज से बचने के प्रयास के लिए अभियुक्त/प्रतिवादी को दोषी ठहराने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि उसने किसी भी कर, जुर्माना या ब्याज से बचने के इरादे से कुछ सकारात्मक कार्य किया है" जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेम दास बनाम आयकर अधिकारी (1999) 5 एससीसी 241 में माना है अधिनियम की धारा 276सी(2) के तहत अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित किया जाना चाहिए"

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ (2023) 146 टैक्समैन.कॉम 27 (झारखंड) मामले में यह माना है कि जब आयकर अधिकारी ने रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज

लगाया है, तो यह मान लिया जाना चाहिए कि आयकर अधिकारी ने रिटर्न दाखिल करने में देरी के कारणों से संतुष्ट होने के बाद रिटर्न दाखिल करने की अवधि बढ़ा दी है। इसलिए, उस प्रावधान के तहत तब तक कोई दंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि आपराधिक मनःस्थिति का तत्व स्थापित न हो जाए और विधायिका का इरादा यह न हो कि दंड एक निवारक के रूप में काम करे।

12. 1961 के अधिनियम की धारा 276सी(2) से निपटते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेम दास बनाम आयकर अधिकारी (1999) 5 एससीसी 241 के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

“ धारा 276-सी के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य या अधिरोपित किसी भी कर, दंड या ब्याज से बचने का जानबूझकर किया गया प्रयास अभियुक्त की ओर से एक सकारात्मक कार्य है, जिसे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए सिद्ध किया जाना आवश्यक है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि 1961 के अधिनियम की धारा 276सीसी के तहत किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए ' मनुष्य की मंशा' एक आवश्यक तत्व है। इसलिए, ' मनुष्य की मंशा' के प्रमाण के अभाव में और धारा 132(4-ए) के तहत केवल अनुमान के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

13. उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि 1961 के अधिनियम की धारा 276सी के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए शिकायतकर्ता को कर का भुगतान न करने या कर से बचने के प्रयास के लिए अभियुक्त की मंशा साबित करनी होगी। लेकिन वर्तमान मामले में, आरोपी प्रतिवादी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और बाद में जुर्माने के साथ पूरी कर राशि जमा करने में देरी के कारणों को विस्तार से समझाया है। इसलिए, शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी के पास कर के भुगतान से बचने की मंशा थी। तदनुसार, आयकर विभाग सभी उचित संदेहों से परे आरोपी प्रतिवादी के अपराध को साबित करने में विफल रहा है।

14. मामले के उपरोक्त सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए, विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रतिवादी को उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करने से पहले कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। अतः, यह पाया गया कि प्रतिवादी के विरुद्ध 1961 के अधिनियम की धारा 276CC के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं हुआ।

15. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, यदि अपीलीय न्यायालय पाता है

कि दो दृष्टिकोण उचित हैं, तो अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

16. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय उपरोक्त अपराधों के तहत अभियुक्तों को बरी करने में ट्रायल कोर्ट द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं पाता है।

17. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक अपील खारिज की जाती है। निचली अदालत द्वारा पारित अभियुक्त प्रतिवादी को दोषमुक्त करने के निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

18. निचली अदालत का रिकार्ड तुरन्त वापस भेजा जाए।

(अनूप कुमार ढांड) ,जे

दीक्षा /5

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी

